(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 18 / 2025

पंजीकरण संख्या :– 2025 / 78

बउनवान

श्री ताराचंद गुर्जर निवासी हिंगलोट पोस्ट पाली तहसील छबड़ा जिला बारॉ (राज.) पिन कोड –325220 मो.नं. 7568789945

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 23.09.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.07.2025 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 05 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 29.08.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा को जरिये सम्मन क्रमांक 738–739 दिनांक 29.08.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 738–739 दिनांक 29.08.2025 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा [illegible] कार्यालय के पत्र क्रमांक / आरटीआई / 2025 / 111–112 दिनांक 19.09.2025 से [illegible] करवाया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई। उक्त जवाब में अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नगरपालिका, छबड़ा से संबंधित है। ऑनलाईन पोर्टल पर तकनीकी समस्या होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र ऑनलाईन स्थानांतरण नहीं किया जा सका। अतः ऑफलाईन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका छबड़ा को उनके कार्यालय के पत्रांक 109–110 दिनांक 18.09.2025 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.10.01 19:09:19 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा से प्राप्त अपील मेमो के जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका छबड़ा को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाए जाने हेतु अंतरित कर दिया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.10.01 19:09:19 IST
Reason: SelfAttested